न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04/2019 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. मानसिंह पुत्र रामगोपाल जाति गुर्जर निवासी आशापुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति राजपूत निवासी कीरतपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम विरूद्ध आवंटन सलाहाकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 16.03.2005 जिसके तहत राजेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति राजपूत निवासी कीरतपुरा तहसील बसवा को ग्राम कीरतपुरा पटवार सर्किल अरनिया में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 795 में से 0.85 है. तथा खसरा नम्बर 844 में से 0.40 है. कुल भूमि 1.25 है. का आवंटन किया गया है)

उपस्थिति : श्री नवीन कुमार अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 29.08.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई आवंटन नियमों की अवहेलना करके फाड व धोखे से गुपचुप तरीके से आवंटित की गई भूमि बिना उद्घोषणा जारी किये ही दिनांक 16.03.2005 को राजेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति राजपूत निवासी कीरतपुरा तहसील बसवा जिला दौसा को वाके ग्राम कीरतपुरा पटवार सर्किल अरनिया तहसील बसवा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 795 में से 0.85 है. तथा खसरा नम्बर 844 में से 0.40 है. कुल भूमि 1.25 है. का आवंटन कर दिया गया, जिसकी प्रार्थी को कतई जानकारी नहीं थी। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 16.3.2005 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र 14(4) इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण की तलवी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नहीं आने पर एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत आवंटन दिनांक 16.03.2005 विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाकर किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 को जिस भूमि का आवंटन किया गया है, उस भूमि बाबत् ना तो कोई उद्घोषण जारी की गई और ना ही उद्घोषणा की तामील करवाई गई और ना ही आवंटन कमेटी की मीटिंग हेतु कोई सूचना जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 राजेन्द्र सिंह जिसको भूमि का आवंटन किया गया है उसके पिता अवतार सिंह ग्राम पंचायत अरनिया के सरपंच रहे है। राजनैतिक रसूखात वाले व्यक्ति है। अपने राजनैतिक रसूखात का उपयोग कर उक्त भूमि का आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से कराया गया है। आवंटनशुदा भूमि करीबन 20 वर्षो से प्रार्थी के कब्जे में है। प्रार्थी भारतीय सेना से [illegible] सैनिक है। अप्रार्थी संख्या 1 का कभी भी आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अ[illegible]मों के अनुसार ही भारतीय सैनिक व पूर्व सैनिको को आवंटन में प्राथमिकता दिया [illegible] के फार्म संख्या 3 में अपने पिता के नाम 4.31 है. भूमि होना [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम करीबन 60 बीघा भूमि रही है। अप्रार्थी [illegible] पेश कर धोखे से आव[illegible]या है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पटवारी हल्का अरनिया ने भी अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 में 1.76 भूमि दर्शा रखी है, जो किसके नाम है स्पष्ट नहीं है। बिन्दु संख्या 5 में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में 0.50 भूमि होना दर्शित किया है, वह भी किस आधार पर किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने आवेदन पत्र फार्म संख्या 3 में दर्शित भूमि में विरोधाभासी है। पटवारी हल्का को अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 9 एवं 12 का सम्पूर्ण विवरण अपनी रिपोर्ट में देना कानूनन जरूरी रहा है, परन्तु उक्त बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट में खुलासा नहीं करना अप्रार्थी संख्या 1 के साथ आपसी मिलीभगत को प्रमाणित करता है। आवंटित भूमि खसरा नम्बर 795 के साबिक खसरा नम्बर 94/2 नदी नाले की भूमि थी, जो आवंटन योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 16.03.2005 को निरस्त किया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 795 के साबिक खसरा नम्बर 94/2 था, जो नदी नाले की भूमि थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित की गई भूमि नदी नाले की भूमि होने के कारण यह प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम राज. सरकार से प्रभावित होने के कारण भी स्वीकार्य योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तु प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 16.03.2005 बहक राजेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति राजपूत निवासी कीरतपुरा तहसील बसवा जिला दौसा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ मूल आवंटन अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:34 IST
Reason: SelfAttested